पत्रांक– 05/(विविध) 14–26/2017

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

रमेश कुमार दूबे,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्रशासक,
सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, जमशेदपुर।
सभी मुख्य अभियंता,
(लघु सिंचाई सहित), झारखण्ड, ।
अपर निदेशक,
भू–अर्जन एवं पुर्नवास, जमशेदपुर।
निदेशक,
भू–गर्भ निदेशालय, राँची।
उप समहर्त्ता,
राजस्व प्रमंडल, राँची।
सभी विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी,
पुर्नवास पदाधिकारी, झारखण्ड, ।

राँची, दिनांक :–..........................

विषयः– दिनांक–01 जनवरी, 2019 से राज्य सरकार के सभी विभाग कार्यालय में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश (उपार्जित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश) की स्वीकृति Online माध्यम से जारी करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग का पत्र सं॰–9472, दिनांक–27.12.18 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि दिनांक–01 जनवरी 2019 से सभी कार्यालयों में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश की स्वीकृति Online माध्यम से जारी किया जाना है।

अतः उक्त आदेश का अनुपालन दिनांक–01 जनवरी' 2019 से सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु० :–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– राँची, दिनांक :–

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/अभियंता प्रमुख–I एवं II/मुख्य अभियंता (मो०)/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक पदाधिकारी/सभी कर्मचारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 4288 राँची, दिनांक :– 28/12/18

प्रतिलिपि :–नोडल पदाधिकारी, HRMS/वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/12/18

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

D:\Office\under sec-5\28.12.2018.docx

32

संoसo–16/PMU–10–02/2017 ... 5472

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/
विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 27/12/18

अपर मुख्य सचिव कोषांग, जल संसाधन सरकार, राँची
28 DEC 2018

विषय : दिनांक– 01 जनवरी, 2019 से राज्य सरकार के सभी विभाग/कार्यालय में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों के संबंध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश (उपार्जित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश) की स्वीकृति ऑनलाईन माध्यम से जारी करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि दिनांक– 01 जनवरी, 2019 से राज्य सरकार के सभी विभाग/कार्यालय में पदस्थापित अराजपत्रित कर्मियों के सम्बन्ध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाश (उपार्जित अवकाश, क्षतिपूरक अवकाश, मुख्यालय छोड़ने की अनुमति, विशेष आकस्मिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश) की स्वीकृति ऑनलाईन माध्यम से HRMS का उपयोग करते हुए ही जारी किये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि जिस स्थापना से ऑनलाईन आदेश के स्थान पर ऑफलाईन आदेश जारी किया गया पाया जायेगा, उस स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी का वेतन ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् ही विकलनीय होगा।

सभी अराजपत्रित कर्मियों/स्थापना पदाधिकारियों को यदि तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो तो हेल्पलाईन अथवा अपने पैतृक विभाग के नोडल पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सहायता के लिए Help फाईल HRMS के वेबसाईट 'jharpis.gov.in' के 'FAQ and Help Videoes' लिंक में उपलब्ध है। इसके सहयोग से सभी ऑनलाईन कार्य निष्पादित किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सहायता की आवश्यकता हो तो Toll Free No. 1800–345–6568 तथा झारनेट आई.पी. फोन नम्बर-- 11476 पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई–मेल पता – hrms.dopar@gmail.com पर भी सहायता उपलब्ध हैं।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ विभाग/कार्यालयों में अराजपत्रित कर्मियों के संबध में सभी स्थापना आदेश एवं विभिन्न अवकाशो की स्वीकृति HRMS सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए ऑनलाईन जारी करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करते हुए उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(के0के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

जल संसाधन विभाग
(प्रधान सचिव/सचिव कोषांग)
संख्या 3661
दिनांक 28.12.18